अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....**28**....., सन् .....**2026**.....

केस का प्रकार.....**सेवा अपील**.....**(उमेश राम बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
01.07.2026	अभिलेख उपस्थापित। राज्य उपस्थित। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रस्तुत सेवा अपील वाद जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-488-2/स्था0, में दिनांक-15.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद-पत्र एवं निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के वाद-पत्र की कंडिका-04 में अंकित है कि ''आरोप ड्यूटी समय से संबंधित नहीं - कथित घटना ड्यूटी समाप्ति के बाद की व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित है, उस समय विभागीय कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।'' जबकि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के द्वारा सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। अपीलार्थी को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के कंडिका-37(क) एवं 37(ग) तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 की कंडिका-3.1 की उपकंडिका-i, ii, iii तथा नियम-04 (यथा संशोधित नियमावली-2017) में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण के कारण बृहद दंड दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी दिनांक-13.02.2026 को वाद दायर करने के बाद से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद की सुनवाई में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः अभिरूचि के अभाव के आलोक में इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा